न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 172/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 17/12/2024

उनवान

1. श्रीमती मांगीबाई पिता जयचन्द जाट निवासी गुन्दली तहसील भूपालसागर – मृतक के बजाए 1–1 रतनलाल पिता माधवलाल जाट निवासी दांता तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्रीमती भगुबाई पिता नगजीराम जाट पत्नी रामलाल जाट निवासी कोटडी तह. रेलमगरा
2. श्रीमती शंकरी बेव नगजीराम जाट नातायत पत्नी माधू जाट निवासी निलोद तह. भूपालसागर
3. श्री डालू मुतबन्ना चतरभुज जाट निवासी गुन्दली तहसील भूपालसागर
4. श्री बद्रीलाल पिता डालचन्द जाट निवासी गुन्दली तहसील भूपालसागर
5. उप पंजीयक, भूपालसागर
6. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री राजकुमार लड्ढा, अधिवक्ता वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इश्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि हल्के बैरूनी गुन्दली तहसील भूपालसागर में आ.सं. 544 रकबा 0.13 है., आ.सं 545 रकबा 0.27 है., आ.सं. 634 रकबा 0.21 है., आ.सं. 637 रकबा 0.30 है., आ.सं. 715 रकबा 0.79 है. किता 5 रकबा 1. .70 है. स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में मुझ वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक, दो व तीन एवं नोलीबाई बेवा जयचन्द जाट के नाम पर दर्ज है। खातेदार नोलीबाई का देहावसान हो चुका है। उक्त आराजियात पर कब्जा केवल मात्र वादिया का है इस कारण मैं वादिया आराजियात की खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी हूं। हल्के बैरूनी गुन्दली में आ.सं. 387 रकबा 0.15 है., आ.सं. 388 रकबा 0.75 है., आ.सं. 389 रकबा 0.64 है., आ.सं. 390 रकबा 1.10 है. किता 4 रकबा 2.64 है. स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से चार एवं नोलीबाई बेवा जयचन्द जाट के नाम पर दर्ज है। खातेदार नोलीबाई का देहावसान हो गया है, जिसकी एकमात्र वारिस मैं वादिया पुत्री हूं। आराजियात में मुझ वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या एक, दो व तीन के नाम पर 2/3 हिस्सा दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या चार के नाम पर 1/3 हिस्सा दर्ज है। आराजियात के 2/3 हिस्से पर अकेले मुझ वादिया का कबजा होकर मैं ही काश्त करती हूं। इस कारण मैं वादिया उपरोक्त आराजियात के 2/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी हूं। मुझ वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से चार के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है। जयचन्द – नोलीबाई (पत्नी) फौत, नगजीराम (पुत्र) फौत [illegible] चला गया, मांगीबाई (पुत्री)। मुझ वादिया के दोनों सगे भाई गोद चले गये। नगजीराम [illegible] 50 [illegible] पहले डूंगा जी के गोद चला गया एवं भाई डालू तीस वर्ष पहले चतरभुज [illegible] गे पिता एवं प्रतिवादी संख्या दो के पति श्री नगजीराम आज से करीब 50 साल पहले [illegible] जी गुन्दली वाले के गोद चले गये उनका उपरोक्त आराजियात से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। इस कारण प्रतिवादी संख्या एक व दो का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है, इस [illegible] उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उनके हिस्से की आराजियात की खातेदार काश्तकार मुझ वादिया को घोषित किया जाना आवश्यक है एवं राजस्व रिकार्ड में केवल मात्र मेरा नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:28:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

यह कि प्रतिवादी संख्या तीन श्री डालू जी चतरभुज जी के यहां करीब 30 साल पहले गोद चले गए और उनका कब्जा भी चतरभुज जी की जमीन पर है। उनका नाम भी मुझ वादिया के साथ राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है, इस कारण उनके हिस्से की आराजियात की खातेदार काश्तकार भी मुझ वादिया को घोषित किया जाना आवश्यक है एवं राजस्व रिकार्ड से डालू का नाम हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या एक की शादी करीब बाल्यावस्था में हो चुकी है और वह करीब तीस साल से गांव कोटडी तहसील रेलमगरा में निवास कर रही है उसका आराजियात से कोई संबंध नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या शंकरी करीब 25 साल पहले गांव निलोद में माधू जाट के यहां नाते चली गई और वहीं पर निवास कर रही है उसका भी आराजियात से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी संख्या चार की उम्र करीब 28 साल की हो चुकी है जो पूर्ण रूप से बालिग हो चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसको नाबालिग बताया गया है। इस कारण उसको बालिग घोषित कर उसके पिता को जो वली बना रखा है उसको हटाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या एक, दो व तीन का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होने से वे आराजियात को खुर्दबुर्द करने की धमकी देते हैं इस कारण उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है कि वे आराजियात को किसी भी तरह से खुर्दबुर्द, रहन, विक्रय बक्षीस नहीं करें एवं आराजियात में किसी भी प्रकार की दस्तअन्दाजी नहीं करें। दिनांक 18.09.2010 को मुझ वादिया ने प्रतिवादी संख्या छह श्रीमान तहसीलदार सा. को राजस्व रिकार्ड ठीक करने के लिये मौखिक निवेदन किया तो उन्होने असमर्थता जाहिर की इस कारण बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 18.09.2010 को पैदा हुई उसके बाद हर रोज पैदा हो रही है। वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजियात की खातेदार काश्तकार अकेली मुझ वादिया का नाम अंकित किया जाय एवं प्रतिवादी संख्या एक, दो व तीन का नाम जो गलत दर्ज हुआ उसको हटाया जावे। वादिया के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या एक, दो, तीन स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वे वाद पत्र की कॉलम संख्या एक व दो में वर्णित आराजियात को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से रहन विक्रय बक्षीस आदि कर खुर्द बुर्द नहीं करें एवं प्रतिवादी संख्या पांच को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि उक्त आराजियात बाबत प्रतिवादी संख्या एक, दो व तीन किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन कार्यालय से करावें तो वह नहीं करें एवं न ही किसी प्रकार सहयोग ही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री डी.एस.तिवारी ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। प्र.सं. 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकित किया कि कॉलम सं. 1 का उत्तर इस प्रकार है कि आराजियात जैरबहस वादिया एवं प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 के नाम संयुक्त खातेदारी अधिकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर पैतृक है। विवादित आराजियात पर केवल मात्र वादिया का कब्जा नहीं होकर सभी खातेदारान का संयुक्त कब्जा है। इसलिए वादिया अकेली खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी नहीं है। वादपत्र की कॉलम सं. 2 का उत्तर इस प्रकार है कि वादोक्त आराजियात पक्षकारगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार व संयुक्त कब्जे की है मु. नोलीबाई, जयचन्द की पत्नी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जयचन्द के नगजीराम, डालू दो पुत्र व एक पुत्री वादिया हुए। नगजीराम की मृत्यु हो गई। नगजीराम की एक पुत्री प्रतिवादिया नं. 1 व पत्नी प्रतिवादिया नं. 2 है। इस प्रकार जयचन्द, नोलीबाई की जायदाद में वादिया का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 व 4 का 1/3 हिस्सा है। वादिया एकमात्र वारिस नहीं है वादिया अकेली खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी नहीं है वादिया खतौनी सं. 64 व 65 की आराजियात में खातेदार पहले सहै है इसलिए नये सिरे से घोषणा की आवश्यकता नहीं है नोलीबाई की मृत्यु होने से नोली के हिस्से में वादिया का वारीसान हक 1/3 है प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का 1/3 व प्रतिवादी नं. 3 का भी 1/3 हिस्सा रहेगा। वादपत्र की कॉलम सं. 3 में वर्णित सजरा व कथन गलत होने से स्वीकार नहीं। नगजीराम व डालू किसी के गोद नहीं गए। जयचन्द के दे ही लडके थे और कोई पिता दोनो पुत्रों को [illegible] रख सकता है और कानूनन आध्यात्मिक दृष्टि से भी दोनों का गोद अवैध है। एकमा[illegible] जयेष्ठ पुत्र को भी गोद में नहीं दिया जा सकता है साथ ही दत्तक ग्रह[illegible] पिता से ही क्यों न प्राप्त हो एक बार पुत्र में निहित हो जाने के [illegible] उसी प्रकार निहित [illegible] अर्थात बाद में निर्निहित नहीं होगी। वादिया की शादी ग्राम दांता के माधु के [illegible] रहती है। खतौनी सं. 64, 65 जमाबंदी में भी डालू के पिता का [illegible] दर्ज नहीं है डालू व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का नाम विरासत से जयचन्द की मृत्यु के पश्चात विधिवत इन्तकाल खुलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जिसे करीब 50 वर्ष हो गए हैं। वादिया व डालू सगे भाई बहिन है जिन्होने षड्यंत्र कर यह दावा किया है। नगजीराम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस पुत्री व पत्नी के नाम आराजियात दर्ज हुई उसको जबरन छीनने के इरादे से प्रतिवादी डालू ने वादिया से यह वाद पेश कराया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gehra
Date: 2025.03.18 17:28:40 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

...कि वादिया ग्राम दांता में रहती है। पक्षकारान का सजरा इस प्रकार है : उंकार (मृत), जयचन्द (मृत) ...लीबाई पत्नी (मृत), नगजीराम पुत्र (मृत) की भगु (पुत्री) प्र.सं. 1, शंकरी (पत्नी) प्र.नं.2, डालू पुत्र प्र.नं. 3 ...ब्रीलाल प्र.नं. 4, मांगीबाई पुत्री (वादिया)। कॉलम 4 गलत होने से स्वीकार नहीं वादिया के दोनों भाई कभी गोद किसी के नहीं गए हैं। जयचन्द की मृत्यु के बाद वारिसान हक से वादिया व नगजीराम, डालू के नाम आराजियात दर्ज हुई जिसे करीब 50 वर्ष हो गए हैं और नगजीराम की मृत्यु के बाद उसकी लडकी व पत्नी के नाम दर्ज हुई स्वयं वादिया भी शादी के बाद से ही अपने ससुराल 45 वर्ष से रह रही है वादिया ने अपने पिता के जिन्दा रहने तक इस संबंध में कोई दावा नहीं किया। वादिया ने 50 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं कराई 12 वर्ष से अधिक समय हो जाने से सभी पक्षकारान का कब्जा मुखालफाना वादिया के विरूद्ध है इसलिए वाद बैरून मियाद है। वादपत्र की कॉलम सं. 5 गलत होने से स्वीकार नहीं। नगजीराम कभी किसी के गोद नहीं गए। वर्तमान राजस्व रिकार्ड सही है नगजीराम अपने पिता जयचन्द की जायदाद पर 50 वर्ष से काबिज रहा, राजस्व रिकार्ड की वादिया ने कभी चुनौती नहीं दी। वादिया की मौनस्वीकृति की तारिफ में आती है और अब वादिया किसी अनुतोष का पाने की हकदार नहीं है वादिया नगजीराम की आराजियात की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की हकदार नहीं है। वादपत्र की कॉलम सं. 6 गलत होने से स्वीकार नहीं, स्वयं वादिया दांता ग्राम में 45 वर्षो से रह रही है उसका किसी अन्य सहखातेदार के हिस्से पर कब्जा नहीं है सभी पक्षकार संयुक्त रूप से काबिज है। वादिया ग्राम दांता रहती है, कोई दाद पाने की हकदार नहीं है। वादपत्र की कालम संख्या सात गलत होने से स्वीकार नही प्रतिवादी न. एक व दो ग्राम गुंदली में ही रहकर विवादित आराजियात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर खेती करती है प्रतिवादी न. दो मु. शंकरी अपने पति की जायदाद पर काबिज है वह निलोद के किसी माधुजाट को नहीं जानती है और उसके नाते नहीं गई। वादपत्र की कालम संख्या 8 माननीय न्यायालय के विचाराणीय है। वादपत्र की कालम संख्या 9 गलत होने से स्वीकार नहीं वर्तमान राजस्व रेकार्ड सही है प्रतिवादीगण ने कभी कोई धमकी नही दी प्रतिवादीगण संयुक्त सहखातेदार होने से उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा का भी कोई आधार नही है। वादपत्र की कालम संख्या 10 गलत होने से स्वीकार नहीं संयुक्त खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रतिवादीगण को अतुलनीय क्षति होगी। वादपत्र की कालम संख्या 11 गलत होने से स्वीकार नहीं वादिया को कोई बिनाय दावा पैदा नही होती है। वादपत्र की कालम संख्या 12 न्यायालय के विचाराणीय है। वादपत्र की कालम संख्या 13 न्यायालय के विचाराणीय है। वादपत्र की कालम संख्या 14 गलत होने से स्वीकार नहीं दावा मयाद बाहर हैं । वादपत्र की कालम संख्या 15 न्यायालय के विचाराणीय है। वादपत्र की कालम संख्या 16 न्यायालय के विचाराणीय है। वादपत्र की कालम संख्या 17 न्यायालय के विचाराणीय है। वादपत्र की कालम संख्या 18 का उत्तर इस प्रकार है कि वादपत्र के तथ्य एवं शपथ पत्र असत्य होने से स्वीकार नही। वादपत्र की कालम संख्या 19 में वर्णित चाह गए अनुतोष गलत होने से स्वीकार नही वादीया किसी भी प्रकार के अनुतोष गलत होने से स्वीकार नही वादीया किसी भी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। वादीया ने प्रतिवादी न. तीन चार अपने भाई और भतीजे से मिलकर षडयंत्रपूर्वक प्रतिवादीगण न. एक व दो को अपनी पैतृक जायदाद से वारीसाना हक से हटाने व नुकसान पहुंचाने के इरादे से व स्वयं अकेले अनाधिकृत रूप से जायदाद हडप करने के उद्देश्य से यह झूठा वादपत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है तथा प्रतिवादी न. एक व दो को जानबूझकर परेशान किया जिससे प्रतिवादी न. एक व दो अपने शपथपत्र प्रस्तुत करती है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीया का वाद खारीज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण न. एक व दो को वादिया से विशेष खर्चा दिया जावें। प्रतिवादी संख्या तीन व चार से जवाब पेश किया गया जिसमें निम्न तथ्य अंकित है – वादपत्र की कालम संख्या एक स्वीकार है, वादपत्र की कालम संख्या दो स्वीकार है। वादपत्र की कालम संख्या तीन स्वीकार है। वादपत्र की कालम संख्या चार स्वीकार है। वादपत्र की कालम संख्या पांच स्वीकार है। वादपत्र की कालम संख्या छह स्वीकार है। वादपत्र की कालम संख्या सात स्वीकार है। वादपत्र की कालम संख्या आठ स्वीकार है। वादपत्र की कालम संख्या नौ स्वीकार किए जाने में हमें कोई ऐतराज [illegible] प्रतिवादी संख्या तीन ने कभी आराजियात की खुर्द बुर्द करने की धमकी नही दी एवं न ही मैं खुर्द बुर्द करना [illegible] वादपत्र की कालम संख्या दस स्वीकार किए जाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। वादपत्र [illegible] कालम [illegible] ग्यारह जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। वादपत्र की कालम संख्या बारह न्यायालय के विचा[illegible]। वादपत्र की कालम संख्या तेरह मालियत वाद पर हैं। वादपत्र की कालम संख्या चौदह न्यायालय [illegible] विचारणीय हैं। वादपत्र की कालम संख्या पंद्रह न्यायालय के विचारणीय हैं। वादपत्र की कालम संख्या सोलह आवश्यक पक्षकार पर है। वादपत्र की कालम संख्या सतरह आवश्यक पक्षकार पर है। वादपत्र की क[illegible] संख्या अठारह न्यायालय के विचारणीय है। वादपत्र की कालम संख्या उन्नीस वादीया की प्रार्थना है जो स्वीकार किए जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gehra
Date: 2025.03.18 17:28:40 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

...म प्रतिवादीगण को किसी प्रकार को कोई एतराज नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद वादीया ...धिकार किए जाने हमें कोई एतराज नहीं है। अतः स्वीकार फरमाया जावे।

कार्यवाही के दौरान मांगीबाई की मृत्यु हो जाने से मृतक के रतनलाल का नाम कायम किया गया। दिनांक 08.02.2024 को तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है :

1. आया वाद पत्र में वर्णित ग्राम गुन्दली की आ.सं. 544 रकबा 0.13 है., आ.सं. 545 रकबा 0.27 है., आ.सं. 634 रकबा 0.21 है., आ.सं. 637 रकबा 0.30 है., आ.सं. 715 रकबा 0.79 है. आ.सं. 387 रकबा 0.15 है., आ.सं. 388 रकबा 0.75 है., आ.सं. 389 रकबा 0.64 है., आ.सं. 390 रकबा 1.10 है. भूमि की खातेदार काश्तकार अकेले वादी का 2/3 हिस्सा खातेदारी पाने का अधिकारी है।

   जिम्मे वादी

2. प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम खाते में गोदनामें से गलत दर्ज हुआ है, जिनके नाम खाते से हटाया जावे।

   जिम्मे वादी

3. वादिया द्वारा वादपत्र में वर्णित आराजियात ग्राम गुन्दली की आ.सं. 544 रकबा 0.13 है., आ.सं. 545 रकबा 0.27 है., आ.सं. 634 रकबा 0.21 है., आ.सं. 637 रकबा 0.30 है., आ.सं. 715 रकबा 0.79 है. आ.सं. 387 रकबा 0.15 है., आ.सं. 388 रकबा 0.75 है., आ.सं. 389 रकबा 0.64 है., आ.सं. 390 रकबा 1.10 है. भूमि को प्रतिवादी संख्या 1, 2 को अपनी पैतृक जायदाद वारिसान हक से हटाने, नुकसान जायदाद हड़प करने के उद्देश्य से झूठा वाद पेश किया।

   जिम्मे प्रतिवादी

वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस में अंकित किया है कि मौजा गुंदली पटवार हल्का गुंदली में आराजी खसरा नबर 544, 545, 634, 637, 715 कुल कीता 05 कुल रकबा 1.70 है. स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीया मांगीबाई एवं प्रतिवादी संख्या एक, दो व तीन एवं नोलीबाई बेवा जयचंद के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। खातेदार नोलीबाई की मृत्यु हो चुकी है एवं वादीया मांगीबाई का भी वाद विचाराधीन रहते हुए देहावसान हो जाने से उनके विधिक वारिस को कायम मुकाम बनाया गया है। उक्त संपूर्ण आराजीयात पर कब्जा वादी का वर्षों से चला आ रहा है। खातेदार नोलीबाई वादीया की माता थी। मौजा गुंदली में आराजी खसरा नंबर 387, 388, 389, 390 कुल कीता 04 कुल रकबा 2.64 है. स्थित है जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादीया मांगीबाई व प्रतिवादी संख्या एक से चार एवं नोलीबाई के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है जो गलत है। खातेदारी नोलीबाई का देहावसान हो चुका है एवं वादीया मांगीबाई का भी देहावसान हो चुका है जिसका विधिक वारिस को कायममुकाम बनाया गया है जो पत्रावली पर रेकार्ड पर है। खातेदारी नोलीबाई वादीया की माता थी। जमीन वादग्रस्त पूर्व में जयचंद्र के खातेदारी की थीं। जयचंद्र जी के विधिक वारिस नोलीबाई, नगजीराम, डालू, मांगीबाई है। जिसमें से जयचंद्र जी के दोनो लडके नगजीराम व डालू जाति रीति रिवाज के अनुसार अन्यत्र गोद चले गए एवं जिस व्यक्ति के गोद गए उनकी संपत्ति पर काबिज है। जयचंद्र जी का पुत्र नगजीराम की भी मृत्यु हो जाने उसके वारिसान के नाम विरासत का नामांतरण खोला गया जो गलत है चूंकि खातेदार नगजीराम आज से करीब 65 वर्ष पहले गांव गुंदली में डूंगा जी के गोद चला गया जिससे उसका एवं उसके वारिसान को गोद जाने के बाद किसी प्रकार का कब्जा वादग्रस्त आराजीयात पर नही है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या तीन डालू भी गांव गुंदली में चतरभुज जी के यहां करीब 44 साल पहले गोद चला गया एवं गोद लेने वाले व्यक्ति की समस्त अचल संपति पर काबिज है एवं कृषि जमीन भी चतरभुज की डालू के नाम खातेदारी से दर्ज है। जिसकी राजस्व जमाबंदी प्रदर्श तीन है एं नगजीराम गोद पुत्र डूंगा की राजस्व जमाबंदी प्रदर्श 4 है। जिससे साबित है कि ... व्यक्ति गोद गए एवं जिस व्यक्ति के गोद गए उनकी संपति पर काबिज होकर उपयोग उपभो... रहे ... प्रतिवादी डालू की ओर से प्रकरण में इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है जिसमें उसने स्वयं स्वीकार ... कि वह स्वयं एवं उसका भाई नगजीराम गोद चले गए एवं जिस व्यक्ति के गोद गए उनकी संपति ... काबिज है। जिससे यह भी साबित है कि जयचंद जी के दोनो पुत्र गोद चले गए इस कारण कानूनन गोद चले जाने से एक जगह ही उनका उनका अधिकार संपति में बनता है। प्रकरण में प्रतिवादी भगूबाई एव ...करी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ परंतु जवाबदावा की ताईद में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई एवं उनके उपस्थित नहीं रहने से प्रकरण में कार्यवाही एक तरफा करने के आदेश हुए। प्रकरण में वादी की ओर से पी.डब्ल्यू. एक स्वयं वादी का पुत्र कायम मुकाम रतनलाल पिता माधवलाल जाट निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:28:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

ता, पी.डब्ल्यू. दो प्रतिवादी डालू गोद पुत्र, पी. डब्ल्यू. तीन लालू भील सिजारी को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया जिन्होने वादग्रस्त भूमि पर लम्बे समय से वादिया का कब्जा होने की ताईद की है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कुल प्रदर्श एक से लगायत प्रदर्श 6 तक दस्तावेजात को प्रदर्श अंकित कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है चूंकि यादी की साक्ष्य का किसी प्रकार से खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है एवं स्वयं प्रतिवादी डालू पी. डब्ल्यू. दो की साक्ष्य को गलत नहीं माना जा सकता। अतः निवेदन है कि वाद वादी डिकी फरमाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या एक से तीन का नाम जो गलत दर्ज हो रखा है उसको हटाया जाने की डिकी प्रदान की जावे एवं वादग्रस्त आराजियात का वादी पुत्र कायम मुकाम को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज किये जाने की डिकी प्रदान की जावे एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे की वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करें।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत 2063–66 प्रदर्श 2, जमाबंदी 2063–66 प्रदर्श 3, साबिक जमाबंदी प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 व 6 पेश किये गये एवं मौखिक साक्ष्य में रतनलाल पीडब्ल्यू 1, डालू पीडब्ल्यू 2, लालू पीडब्ल्यू 3 के बयान लेखबद्ध कराये।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 14.08.2024 को बंद की गई।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषकों के तर्क वितर्क पर मनन किया। प्रकरण में कायम तनकीयात उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते है :–

तनकी नं. 1 – उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को साबित कराने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श एक से लगायत छः तक दस्तावेज, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये हैं एवं प्रदर्श तीन व चार जमाबंदी से यह साबित है कि प्रतिवादी डालू व नगजीराम का राजस्व रिकार्ड में नाम बतौर गोद पुत्र की हैसियत से अंकित है एवं मौखिक साक्ष्य पी.डब्ल्यू. एक, दो व तीन की साक्ष्य से भी यह साबित है कि जमीन वादग्रस्त पर प्रतिवादी डालू व नगजीराम का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है एवं उक्त तथ्य को स्वयं प्रतिवादी डालू पी.डब्ल्यू दो ने भी स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का किसी प्रकार कोई खण्ड्न नहीं हुआ है। जिससे उक्त तनकी वादी साबित कराने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अतः उक्त तनकी संख्या एक बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 – उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श तीन व चार से यह साबित है कि प्रतिवादी डालू व नगजीराम का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर गोदपुत्र की हैसियत से दर्ज है। इस कारण गोदन जाने वाला व्यक्ति कानूनन पैतृक सम्पत्ति में कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है जिसको वादी ने साक्ष्य से साबित कराया है एवं तनकी संख्या एक वादी साबित कराने में सफल रहा है। इस कारण उक्त तनकी संख्या दो भी वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादी साबित होना माना जाता है।

तनकी सं. 3 – इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था परन्तु [illegible] उक्त तनकी को साबित कराने के लिये किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य [illegible] है, केवल मात्र प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है एवं प्रतिवादी [illegible] ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत हुआ है। प्रतिवादी संख्या एक व दो को काफी अवसर प्रदान किये [illegible] बावजूद भी न्यायालय में अपनी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद करने के आदेश दिये गये। इस प्रकार उक्त तनकीयात को प्रतिवादी संख्या एक व दो किसी प्रकार से साबित नहीं [illegible] से उक्त तनकी खिलाफ प्रतिवादी बहक वादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:28:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसाग

दादरसी –

वादीगण अपने जिम्मे की तनकी सं. 1, 2 को साबित कराने में सफल रहा जबकि प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की तनकी संख्या 3 को साबित कराने में असफल रहे है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होने से प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील उभय की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम गुन्दली तहसील भूपालसागर में आ.सं. 544 रकबा 0.13 है., आ.सं 545 रकबा 0.27 है., आ.सं. 634 रकबा 0.21 है., आ.सं. 637 रकबा 0.30 है., आ.सं. 715 रकबा 0.79 है. किता 5 रकबा 1.70 है. में वादी का नाम अंकित किया जावे वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का नाम हटाया जाने एवं गुन्दली में आ.सं. 387 रकबा 0.15 है., आ.सं. 388 रकबा 0.75 है., आ.सं. 389 रकबा 0.64 है., आ.सं. 390 रकबा 1.10 है. किता 4 रकबा 2.64 है. के 2/3 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है 2/3 हिस्सा वादी के नाम दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का नाम हटाया जावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गोलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:28:40 IST
Reason: SelfAttested